

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

प्रकरण संख्या : 93/2024
रजिस्ट्रेशन नं. :2024/113

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री सज्जाद हुसैन
निवासी मुस्लिम कोलोनी, बांसवाड़ा
(विक्रेता/ मालिक) मैसर्स मोहम्मद हुसैन
मावा वाला, पाला रोड, बांसवाड़ा (राज.)


अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09-12-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री शशिकान्त शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 16-10-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 30-07-2024 को 01.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स मोहम्मद हुसैन मावा वाला, पाला रोड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री सज्जाद हुसैन उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्स मोहम्मद हुसैन मावा वाला, पाला रोड, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर परिसर में खाद्य पदार्थ मावा (लूज) एक फ्रिज में लगभग 5 किलोग्राम रखा पाया। जिसमें मिलावट का संदेह होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए खाद्य पदार्थ मावा (लूज) 1 किग्रा वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 350/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मावा (लूज) 1 किग्रा को 4 साफ सुखे एवं खाली प्लास्टिक के जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरकर एवं प्रत्येक प्लास्टिक के जारों में प्रीजरवेटीव फार्मलिन की 20-20 बुन्दे डालकर, चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1880 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये।




न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/416 दिनांक 29-08-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 868 दिनांक 12-08-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मावा (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1880** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा खाद्य पदार्थ मावा (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 17-10-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

09-12-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर परिवाद में अंकित आरोपों को स्वीकार कर नरमी का रुख अपनाकर न्यूनतम अर्थ दण्ड से दण्डित करने निवेदन किया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अप्रार्थी स्वयं द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है अतः अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2024/416 दिनांक 29-08-2024 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 868 दिनांक 12-08-2024 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मावा (लूज) का नमूना कोड क्रमांक **W-1880** Substandard food under section 3(1)(zx) of food safety and standards act 2006 है। इस प्रकार प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते



न्याय निर्णय अधिकारी
(अति.जिला क्लर्क)
बॉसवाडा (राज.)

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) के तहत Substandard खाद्य पदार्थ मावा (लूज) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री सज्जाद हुसैन निवासी मुस्लिम कोलोनी, बांसवाडा (विक्रेता / मालिक) मैसर्स मोहम्मद हुसैन मावा वाला, पाला रोड, बांसवाडा (राज.) को 10000/- (अक्षरे रू दस हजार मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 09-12-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)